छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक– 08 / रेरा / 2018 / 563 रायपुर, दिनांक 28 / 09 / 2018

/ / प्रेस विज्ञप्ति / /

छत्तीसगढ़ रेरा ने बनाया फेसबुक पेज व ट्वीटर एकाउंट

लोगों में जागरूकता का सृजन करने रेरा करेगा सोशल मीडिया का उपयोग

रियल एस्टेट सेक्टर का रेग्युलेशन कर इस सेक्टर में पारदर्शिता व दक्षता लाने तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का गठन किया गयाा है। अपने गठन के तत्काल प्श्चात् छत्तीसगढ़ रेरा ने अपने कर्तव्यों का तत्परता से निर्वहन प्रारंभ कर दिया है। रेरा द्वारा अल्प अवधि में ही लगभग 800 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एवं लगभग 300 रियल एस्टेट एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इसके अलावा इस सेक्टर से संबंधित क्रेताओं की शिकायतों का त्वरित व प्रभावी समाधान भी रेरा द्वारा किया जा रहा है। प्राधिकरण को अब तक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से संबंधित लगभग 150 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, इनमें से 58 शिकायतों का निराकरण करते हुए रेरा द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए अपने वेबपोर्टल **rera.cgstate.gov.in** पर समस्त जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उक्त वेबसाईट पर रेरा में रजिस्टर्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एवं रियल एस्टेट एजेंट्स की सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिक अवलोकन हेतु उपलब्ध है। वर्तमान में सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व तथा इसके व्यापक प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए रेरा से संबंधित प्रावधानों की जानकारी आमजनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ रेरा ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए प्राधिकरण का फेसबुक पेज "chhattisgarh rera" एवं ट्वीटर एकांउट "cg_rera" तैयार किया है। इसके माध्यम से लोगों को रेरा से संबंधित नियमों व प्रक्रियाओं की जानकारी सहज व सरल रूप से प्राप्त हो सकेगी। प्राधिकरण द्वारा अपने दैनिक कर्तव्यों के साथ–साथ जन–जागरूकता का सृजन करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है और निश्चित तौर पर इसका सीधा लाभ आम लोगों को प्राप्त हो सकेगा।

28/09/18.

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण

रायपुर.